

- अनुमति की शर्तें ।**
- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
  - (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
  - (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
  - (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल श्रेणी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ  
कार्यालय नगर नि.म, जोधपुर (ए.वा.स. मानचित्र)

आवेदन क्रमांक 73 दिनांक 25/04/19

प्रार्थी 0 जयन्ती व्यास S/O श्री एल.जी.व्यास 2 श्रीमती


ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय एन्तोष व्यास W/O श्री न

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश व्यास

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 3,445/- P.No: 592 कमला नै


जरिये रसीद संख्या 1005/789 जमा

दिनांक 25/04/19 को जमा करा दी है।



प्रारूपकार  
नगर निगम, जोधपुर

तृतीय विस्तार

  
नाशा प्राप्त